उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

विविध(प्रतिबंधित सूची से मुक्त संबंधी) वाद संख्या–45/2021

अविनाश कुमार यादव

– बनाम –

राज्य

आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गइ कार्रवाई के बारे मं टिप्पणी/तारीख*
दिनांक 28·01·2022	1. प्रस्तुत अभिलेख हजारीबाग सदर अंचल अन्तर्गत मौजा चानो–I, थाना नं0–148, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–60, रकवा–0.60 एकड़ भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने से संबंधित है। 2. आवेदक अविनाश कुमार यादव, पिता–स्व0 अजीत गोप, रॉची पटना रोड, पुराना चेकपोस्ट, थाना सदर, जिला हजारीबाग द्वारा आवेदन पत्र समर्पित कर बताया गया है कि मौजा–चानो–I, थाना नं0 148, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–60, रकवा–5.42 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती खास महाल केस नं0–319/1918–19 से मिस्टर ई0 लिविंग्स के नाम से की गई। उक्त भूमि को मिस्टर लिविंग्स द्वारा निबंधित केवाला संख्या–2050, दिनांक 20.11.1930 से जोसेफ दास एवं जेम्स एलेन लिभिजिन के नाम बिक्रय किया गया एवं पुराना पंजी–II के पृष्ठ संख्या–61/01 के अनुसार जमाबंदी कायम करते हुए 1954–55 से 1970 तक लगान रसीद निर्गत किया गया। 3. आवेदक द्वारा पुनः बताया गया कि मौजा–चानो–I, थाना नं0–148, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–60, रकवा–0.60 एकड़(60डी0) भूमि का क्रय जोसेफ दास के प्रपौत्र अपरेश कुमार दानिश दास के पावर ऑफ एटार्नी होल्डर से निबंधित केवाला सं0–1345/1529 दिनांक 23.03.2017 से क्रय किया गया। 4. अंचल अधिकारी, सदर के अनुशंसा पर प्रश्नगत भूमि को विद्वान अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा दिनांक 10.06.2016 को प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया गया, जिसकी सूचना जिला अवर निबंधक, हजारीबाग को पत्रांक 1275, दिनांक 13.06.2010 से दी गई, जिसके आधार पर भूमि का क्रय आवेदक द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से किया गया। आवेदक द्वारा भूमि के क्रय से संबंधित राशि का भुगतान बिक्रेता को केवाला निष्पादन के समय कर दिया गया। 5. भूमि क्रय करने के बाद आवेदक प्रश्नगत भूमि पर काबिज हुए तथा नामान्तरण वाद संख्या–3349 दिनांक 03.05.2017 के द्वारा उनके नाम भूमि का नामान्तरण कर शुद्धि पत्र निर्गत किया गया। तदोपरांत आवेदक अविनाश कुमार यादव के नाम जमाबंदी कायम की गई तथा एल0पी0सी0 निर्गत किया गया। आवेदक द्वारा भूमि का लगान भुगतान किया गया।	

आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग. कार्रवाई के बारे : टिप्पणी / तारीख

6. आवेदक को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त किये जाने के बावजूद प्रश्नगत भूमि अबतक जॉच के दायरे में है। प्रश्नगत भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन त्रि–सदस्यीय समिति (अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग, अपर समाहर्त्ता, भू–हदबंदी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग) द्वारा समर्पित की गई है जिसमें अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के पूर्व के आदेश को सही ठहराया गया है।
7. आवेदक द्वारा उक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
8. आवेदक के आवेदन पर मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों एवं त्रि–सदस्यीय जॉच दल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। **त्रि–सदस्यीय जॉच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन निम्नवत है–**

> " उपायुक्त, हजारीबाग के आदेश पत्रांक–2066/रा0, दिनांक 01.07.2017 के अनुपालन में जॉच टीम द्वारा सम्बद्ध कागजातों एवं अभिलेख का अवलोकन/जॉच किया, जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आये–
>
> हजारीबाग जिलान्तर्गत सदर अंचल के ग्राम–चानो–I, थाना नं0–148, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–60 एवं 61, कुल रकवा–2.72 एकड़ भूमि को राजस्व शाखा, हजारीबाग के कार्यालय ज्ञापांक 1275, दिनांक 13.06.2016 के द्वारा प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया गया है। अपर समाहर्त्ता के प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने वाले पत्र में अंचल अधिकारी, सदर के द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार वर्णित है–
>
> श्री अनुपम जयस, पिता–स्व0 अजय कुमार दास, हरनगंज द्वारा ग्राम–चानों–I, थाना नं0–148, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–60 एवं 61, कुल रकवा–2.72 एकड़ भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु उपायुक्त, हजारीबाग को समर्पित आवेदन दिनांक 26.05.2016 के आलोक में अंचल अधिकारी, सदर ने पत्रांक 977, दिनांक 08.06.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प कार्रवाई टिप्पणी
	चानो–।, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–60, रकवा–5.42 एकड़ मधे 2.57 एकड़ एवं प्लॉट नं0–61, रकवा–0.31 एकड़ मधे 0.15 एकड़ कुल रकवा–2.72 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास है। प्रश्नगत भूमि जमीन किस्म परती कदीम है। उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी–।। के पृष्ठ संख्या 10/01 में जेम्स अली बिन लिकिंग, जौंसिफ दास वगैरह के नाम से खाता नं0–29, 26 रकवा–12.23 एकड़ बिक्री के पश्चात शेष 9.45.57 एकड़ का रसीद चालु पंजी–।। के अनुसार निर्गत हो रहा है। उक्त भूमि की जमाबंदी पूर्व से कायम है एवं पुरानी पंजी–।। के पृष्ठ संख्या–61/1 में 1954–55 से 1970 तक रसीद निर्गत है। उक्त भूमि आवेदक के दादा के नाम निबंधित केवाला संख्या–2050 वर्ष 1930 ई0 से हासिल है। उक्त जमाबंदी जमींदारी उन्मूलन की तिथि से कायम है। अंचल अधिकारी, सदर द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त जमाबंदी वैध प्रतीत होता है। भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। जॉच के क्रम मे निम्नलिखित कागजातों/पंजी का अवलोकन करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये:– 1. वर्किंग खतियान के खाता संख्या–23+26+29 में मिस्टर ई0 लेभीन बल्द मिस्टर एल0 लेभीन, कौम–क्रिस्तान, साकिन चानो नं0–01 एवं जेम्स एलेन वो जोसेफ दास, साकिन चानो, एम0ए0 भाया, साकिन हजारीबाग दर्ज है। 2. इस खाता के प्लॉट संख्या–60, परती कदीम, रकवा–5.42 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–61, रकवा–0.31 एकड़ परती नाला दर्ज है। 3. इसी प्लॉट संख्या–60 के कॉलम में यह भी अंकित है कि Mutation by sale jointly allowed in the name of M.A. Major in respect of holding no ·29 vide K.M. Case No. M/106 of 1945-46 dated 14.12.1946 एवं प्लॉट संख्या–61 के कॉलम में This holding of	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

settlement of Gairmazarua land with E. Levings Case No. 319/1918-19.

4. भूमि का भौतिक निरीक्षण करने के क्रम ग्रामीण मैप पर प्लॉट संख्या–61, रकवा–31 डी0 नाला के रूप में दर्ज है तथा वर्तमान में नाला के स्वरूप में पाया गया।

5. प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, हजारीबाग के पत्रांक 128, दिनांक 21.12.2017 के द्वारा सूचित करते हुए पंजी 41डी उपलब्ध कराया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि खास महाल बंदोस्ती वाद संख्या–319/1918–19 बंदोबस्ती अभिलेख जो मिस्टर ई0 लिविन्स के नाम से है, का अभिलेख खास महाल कार्यालय, हजारीबाग को दिनांक 08.07.1949 ई0 को जिला अभिलेखागार के रजिस्टर–41डी के माध्यम से प्राप्त कराया गया है जो अबतक वापस नहीं किया गया है। रजिस्टर 41डी के क्रमांक 11 में K.M. Case No 319/1918-19 Mr. E. Levings Case of settlement अंकित है।

6. पुरानी बंदोबस्ती पंजी– इस पंजी में मिस्टर ई0 लिभिंग को गैर मजरूआ भूमि की बंदोबस्ती वाद संख्या–319/1918–19 से प्राप्त होने तथा मिस्टर ई0 लिविन्स द्वारा डीड नं0–2050 दिनांक 20.11.1930 के द्वारा जोसेफ दास एवं जेम्स एलेन लिविन्स को 15.27 एकड़ की बिक्री करने संबंधी सूचना दर्ज पाया गया है, जो जिला में उपलब्ध बंदोबस्त पंजी के पृष्ठ संख्या–10 के क्रमांक 01 एवं 06 में संधारित है।

वर्णित तथ्यों/कागजातों के अनुसार तदेन अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के द्वारा खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–60, रकवा–2.57 एकड़ भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने की कार्रवाई सही प्रतीत होता है एवं प्लॉट संख्या–61, रकवा–0.31 एकड़ परती नाला भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जाना सही प्रतीत नहीं होता है।''

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी / तारीख
	सुनवाई के क्रम मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों / दस्तावेज तथा त्रि–सदस्यीय जॉच दल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में प्रश्नगत भूमि ग्राम–चानो– I, थाना नं0–148, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–60, कुल रकवा–0.60 एकड. (60डी0) को प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जाता है। आवेदक द्वारा समर्पित सभी मूल कागजात / दस्तावेज वापस करें। लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त, हजारीबाग उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग उपायुक्त, हजारीबाग	

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2022.04.09 12:47:43 +05:30
Location: 192.168.100.105